

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 15]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 अप्रैल 2012—चैत्र 24, शक 1934

## विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

#### सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 मार्च 2012

क्र. ई-5-561-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री टी. धर्मावर, आयएस, कमिश्नर, रीवा संभाग, रीवा को दिनांक 23 से 30 अप्रैल 2012 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 21, 22 अप्रैल 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री टी. धर्मावर की अवकाश की अवधि में श्री एस. एन. रूपला, आयएस, कलेक्टर, जिला रीवा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कमिश्नर, रीवा संभाग, रीवा का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री टी. धर्मावर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कमिश्नर, रीवा संभाग, रीवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री टी. धर्मावर द्वारा कमिश्नर, रीवा संभाग, रीवा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एस. एन. रूपला, कमिश्नर, रीवा संभाग, रीवा के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाश काल में श्री टी. धर्मावर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री टी. धर्मावर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

## वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2012

क्र. एफ-11-99-2007-बी-ग्यारह.—उद्योग संवर्धन नीति 2010 एवं कार्ययोजना की कंडिका क्र. 14.4 के संदर्भ में जारी मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग के आदेश क्रमांक-एफ-20-1-2010-बी-ग्यारह, भोपाल दिनांक 4 जनवरी 2011 में उल्लेखित प्रावधान अनुरूप निम्नलिखित क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया जाता है :—

क्र.	स्थान	तहसील	जिला	खसरा क्रमांक	कुल भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	लेमा गार्डन, गोहालपुर	जबलपुर	जबलपुर	102/3	3.43

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एम. एस. सोलंकी, उपसचिव.

### विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 3 अप्रैल 2012

क्र. फा. 3 (बी) 6-2011-इक्कीस-ब (एक), (मेरिट क्र.-07).— राज्य शासन, श्री सुशील कुमार अग्रवाल पुत्र श्री बसंतलाल अग्रवाल को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला बिलासपुर है. उसकी जन्मतिथि 13 अगस्त, 1978 है.

क्र. फा. 3 (बी) 6-2011-इक्कीस-ब (एक), (मेरिट क्र.-02).— राज्य शासन, सुश्री रीतिका मिश्रा पुत्री श्री श्याम बिहारी मिश्रा को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला टीकमगढ़ है. उसकी जन्मतिथि 22 जुलाई, 1984 है.

क्र. फा. 3 (बी) 6-2011-इक्कीस-ब (एक), (मेरिट क्र.-11).— राज्य शासन, श्री विनोद कुमार वर्मा पुत्र श्री रमेश चन्द्र वर्मा को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश

वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला रायपुर है. उसकी जन्मतिथि 18 अप्रैल, 1980 है.

क्र. फा. 3 (बी) 6-2011-इक्कीस-ब (एक), (मेरिट क्र.-14).— राज्य शासन, श्री विजेन्द्र सिंह रावत पुत्र श्री इन्द्र सिंह रावत को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला ग्वालियर है. उसकी जन्मतिथि 25 फरवरी, 1986 है.

क्र. फा. 3 (बी) 6-2011-इक्कीस-ब (एक), (मेरिट क्र.-16).— राज्य शासन, श्री आशीष कुमार केशरवानी पुत्र श्री द्वारिका प्रसाद केशरवानी को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला कोरिया (छत्तीसगढ़) है. उसकी जन्मतिथि 22 फरवरी, 1979 है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. डी. खान, प्रमुख सचिव.